न्यायालयः— सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :— श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 10/2025
प्रकरण दर्ज तिथि :— 18.02.2025
जीसीएमएस नम्बर :— 2025/71

प्रार्थीगणः—

1. भगवानलाल पुत्र श्री दलाराम, उम्र 49 वर्ष, जाति जाट, निवासी झूझण्डा, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर (राज.)
2. श्री भैराराम पुत्र श्रीदेवाराम, जाति माली, निवासी निम्बेडाकला, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर
3. श्री राजूराम पुत्र श्रीहरजी राम, उम्र 39 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी सींघपुरा, तहसील सोजत,

बनाम

अप्रार्थी

1. श्रीमान् तहसीलदार साहब, तहसील कार्यालय, रायपुर, जिला ब्यावर

राजस्व नक्शे मे तरमीन शुद्दि करने बाबत अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956

उपस्थितः— 1 अधिवक्ता श्री मनीष साहू प्रार्थी
2 सरकारी पैरोकार उपस्थित

निर्णय

दिनांक :— **03.03.2025**

प्रार्थी की ओर से वकील श्री मनीष साहू द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम पिपलियां कला, पटवार हल्का पीपलिया कला, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर मे आई हुई है जिसके खसरा नम्बर 909/45 है, रकबा 0.6063 हैक्टेयर, किस्म चाही स्वयं है। प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त 0.6063 हैक्टेयर कृषि भूमि पर चला आ रहा है। मौके पर 100 फिट चौडा है तथा लम्बाई बराबर है, लेकिन ऑनलाईन नक्शे मे तरमीम करते समय हल्का पटवारी की भूलवश अथवा कम्प्यूटर ऑपरेटर/कम्प्यूटर पटवारी की भूलवश गलती उसे 100 फिट चौडे के स्थान पर मात्र 45 फिट चौडा कर दिया है, जिसकी वजह से नक्शे मे भूमि कम हो गई है, बल्कि राजस्व रेकर्ड मे भूमि 0.6063 हैक्टेयर पूरी है, इस कारण से प्रार्थीगण को भारी कठिनाई का सामना करना पड रहा है, प्रार्थीगण ने उक्त संशोधन करने हेतु हल्का पटवारी से दिनांक 17/02/2025 को निवेदन किया तब हल्का पटवारी ने कहा कि बिना न्यायालय आदेश के उक्त संशोधन नही हो सकता, इसलिये न्यायालय से आदेश लेकर आओ तभी संशोधन होना सम्भव है। अन्यथा नाप के अनुसार लठा ट्रेस नक्शे मे अथवा ऑनलाईन नक्शे संशोधन नही होगा। इस कारण से प्रार्थीगण के पास अपने हक अधिकारों की सुरक्षा हेतु

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

कोई विकल्प शेष नही रहने के कारण यह नक्शा संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 909/45 ग्राम पीपलियाकलां, पटवार हल्का पीपलिया कलां का रकबा 0.6063 हैक्टेयर के अनुसार राजस्व रेकर्ड के लठा ट्रेस नक्शे मे एवं ऑनलाईन नक्शे मे संशोधन नही किया जाता है तो प्रार्थीगण को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ती किसी सूरत मे सम्भव नही होगी। प्रार्थीगण को साम्पति के अधिकारों से वंचित होना पडेगा। इसलिये प्रार्थीगण यह लठा ट्रेस एवं ऑनलाईन नक्शे मे संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष पेश कर रहे है। उक्त त्रुटि लिपिकिय त्रुटि है जो शुद्ध की जानी न्यायहित मे अत्यन्त आवश्यक है। उक्त लिपिकिय त्रुटि को शुद्ध करने से किसी अन्य को कोई नुकसान नही होगा। यदि उपरोक्त त्रुटि संशोधित की जाकर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज रकबा 0.6063 हैक्टेयर के अनुसार शुद्ध नही किया जाता है तथा उत्तर से दक्षिण दिशा की चौडाई 100 फुट मौके के अनुसार नही की जाती है तो प्रार्थीगण को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ती किसी सूरत मे सम्भव नही होगी तथा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज रकबे का मिलान नही होगा, इसलिये सही मिलान हेतु हल्का पटवारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर/कम्प्यूटर पटवारी द्वारा की गई गलती को न्यायहित मे सुधार किया जाकर उक्त सुधार को लठा ट्रैस नक्शे मे एवं ऑनलाईन नक्शे मे शुद्ध संशोधित नक्शा दर्ज किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त संशोधन हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष पेश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पीपलिया कलां, पटवार हल्का पीपलियां कला, जिला ब्यावर के खसरा नम्बर 909/45 का नक्शे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज रकबा 0.6063 के अनुसार संशोधन करने का आदेश फरमाते हुऐ मौके पर कब्जे के अनुसार 100 फुट चौडा उत्तर से दक्षिण किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं जिसमें मौजा पिपलियाकलां के खसरा नम्बर 909/45 रकबा 0.6063 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम खातेदार भगवानलाल पुत्र ढगलाराम जाति जाट सा. झूझण्डा वगैरह के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज हैं। उक्त आराजी भूमि की राजस्व नक्शा/भू नक्शा में तरमीम व मौके पर खातेदार के कब्जे मे भिन्नता हैं। भू नक्शा में की गई तरमीम व मौके पर खातेदारान् का कब्जा नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार हैं। भू नक्शा में की गई तरमीम अनुसार खसरे के रकबे की पूर्ति नही होती हैं रकबा खातेदारी में दर्ज रकबे से कम ही होता हैं। खसरा नम्बर 909/45 के खातेदारान् द्वारा मौके पर किया हुआ कब्जा रकबे के बराबर 0.6063 है. ही हैं। अतः इस त्रुटिपूर्ण तरमीम को शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होना बताया हैं।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

उभयपक्ष बहस सुनी गई, बहस के दौरान दिये गये तर्को पर गहनता पूर्वक मनन किया तथा पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसमें पाया कि तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश रिपोर्ट में उक्त आराजी भूमि की राजस्व नक्शा/भू नक्शा में तरमीम व मौके पर खातेदार के कब्जे मे भिन्नता हैं। भू नक्शा में की गई तरमीम अनुसार खसरे के रकबे की पूर्ति नही होती हैं रकया खातेदारी में दर्ज रकबे से कम ही होता हैं। खसरा नम्बर 909/45 के खातेदारान् द्वारा मौके पर किया हुआ कब्जा रकबे के बराबर 0.6063 है. ही हैं। इसलिए अतः वर्तमान भू नक्शा की तरमीम को खारिज करते हुए तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश मौके पर कब्जा (संलग्न नजरी नक्शा अनुसार) की तरमीम संशोधन किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर सरहद मौजा पिपलियाकलां पटवार हल्का पिपलियाकलां के खसरा नम्बर 909/45 रकबा 0.6063 हैक्टेयर में वर्तमान भू नक्शा की तरमीम को खारिज करते हुए तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश मौके पर कब्जा (संलग्न नजरी नक्शा अनुसार) की तरमीम संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश नजरी नक्शा, इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। पालनार्थ हेतु आदेश, तहरीर के साथ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

गुलाबसिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

गुलाबसिंह

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

राजस्थान–सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

क्रमांक/कोर्ट/2025/ 217

दिनांक : 03/03/25

प्रेषित :–

तहसीलदार,
रायपुर

विषय : राजस्व प्रार्थना पत्र 10/2025 अनवान भगवानलाल वगै बनाम तहसीलदार में पारित निर्णय दिनांक 03.03.2025 की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विषयक अनवान में यदि कोई न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार जारी निर्णय एवं डिक्री पर्चा की छायाप्रति वास्ते नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर पालना भिजवावे।

सलंग्नः– निर्णय की प्रति

गुलाबसिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)